



सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा) / A11-237 / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति—श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : 30 अगस्त, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : 14259 दिनांक 23.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साईंस एन्ड टेक्नोलॉजी, नागल हटनाला, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को बी0 कॉम, बी0एफ0ए0 एवं बी0एच0ए0 पाठ्यक्रम में 60 सीट के साथ शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के लिए नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साईंस एन्ड टेक्नोलॉजी, नागल हटनाला, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून	बी0 कॉम बी0एफ0ए0 बी0एच0ए0	60 60 60	शैक्षिक सत्र 2022-23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation, Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी तथ्यों का उल्लेख किया जाए।

- संस्थान में फ़ैकल्टी मानकानुसार अपूर्ण है। फ़ैकल्टी पूर्ण कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा तथा नियामक संस्था के मानदण्डों के अनुसार फ़ैकल्टी की भर्ती किये बिना नये पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किये जायेंगे।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Ravinath Raman

भवदीय,

Date: 29-08-2023 15:41:55

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 780 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-237/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।